भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1025
दिनांक 18 सितंबर, 2020 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हिंसा

1025. सुश्री एस॰ जोतिमणिः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत छह महीनों में घरेलू दुर्व्यवहार, बलात्कार या महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अन्य रूपों के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान बच्चों के विरुद्ध अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/जिले-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त अवधि के दौरान बच्चों के विरुद्ध अपराधों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' एवं 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना, महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध सहित नागरिकों के जान-माल का संरक्षण प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। फिर भी, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए केंद्र सरकार द्वारा भी इस संबंध में पिछले छह माह के दौरान अनेक पहलेंकी गई हैं। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि वन स्टॉप सैंटर(ओएससी), महिला हैल्पलाइन का सर्वसुलभीकरण (डब्ल्यूएचएल), उज्ज्वला गृह, स्वाधार गृह, बाल देखरेख संस्था, चाइल्डलाइन(1098), आपातकालीन प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली(112) नामक स्कीमें तथा महिला एवं बाल केंद्रित कानूनों जैसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 आदि के तहत विभिन्न प्राधिकरण क्रियाशील तथा महिलाओं एवं बच्चों को सहायता प्रदान करने के लिए इस अवधि के दौरान उपलब्ध रहें। सरकार द्वारा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों के लिए इस प्रयोजनार्थ संवेदीकरण कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं।

*****